न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 187/2017 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2011/00005)

जगदीश प्रसाद पुत्र श्री हनुमान जाति ब्राहम्ण साकिन पक्का भादवा तहसील हनुमानगढ।

अपीलान्ट

बनाम

1. कृष्ण लाल पुत्र श्री हनुमान जाति ब्राहम्ण साकिन पक्का भादवा तहसील हनुमानगढ।
2. राजस्थान सरकार

रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः 1. श्री विजय कुमार पारीक – अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 30–09–2021**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 24.06.2011 के विरूद्ध पेश हुई है।

2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट कृष्ण लाल ने तहसीदार हनुमानगढ में प्रार्थना पत्र पेश कर चक नं. 19 जे. आर.के. जमाबन्दी संवत 2056 के खाता नम्बर 134/118 खाता रामरख वगैरह मे 330 हिस्सा में सें 1/2 हिस्सा 8 बीधा 5 बिस्वा की वसीयत अनुसार आई हुई भूमि को राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करने का किया। जिस पर नायब तहसीदार हनुमानगढ ने अपने आदेश दिनांक 24.06.2011 द्वारा वसीयत में अंकित सम्पति को स्वअर्जित मानते हुऐ नामान्तकरण के लिए स्वीकार कर लिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के निमित सम्मन जारी किये गये तथा बाद तामिल प्राप्त होने के बाद भी उपस्थित नही हुवे।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये बहस के दौरान कहा कि चक 19 जे. आर.के. की जमाबन्दी

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

खाता सं. 162 संवत 2064–67 में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के पिता का नाम 330 हिस्सा था व है। इसी खाते में रामरख का नाम भी है। अधीनस्थ न्यायालय में रेंस्पोडेन्ट ने वसीयत पेश की जिसमे उसके पिता द्वारा स्वय का आधा हिस्सा बताते हुए 8 बीधा 5 बिस्वा भूमि बताई । उक्त भूमि पैतृक भूमि है। सयुक्त खाते की भूमि मे विभाजन नही हुआ है। यह भूमि पूर्व में रतिराम दादा के नाम थी। जिसकी वसीयत नही की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत साबित करने हेतु गवाहो के कोई बयान नही लिये ना ही अखबार में साया करवाया गया। नायब तहसीलदार ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आदेश पारित किया है। प्रथम हक ग्राम पचायत का होता है, अगर ग्राम पंचायत 45 दिन में इन्तकाल दर्ज न करे तो तहसीलदार को क्षेत्राधिकार होता है। प्रकरण विवादित था दोनो पक्ष उपस्थित थे। विवादित प्रकरण की सुनवाई तहसीलदार द्वारा की जाती है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व विरासतन इन्तकाल दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे। अपीलान्ट के अभिभाषक ने अपने पक्ष के समर्थन में RRD 2002 पृष्ठ 418, RRD 1974 पृष्ठ 450, RRD 2002 पृष्ठ 62, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 Sec 135 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय सही पारित किया गया है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं न्यायिक दृष्टांत ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। प्रस्तुत प्रकरण में नायब तहसीलदार हनुमानगढ ने अपने निर्णय दिनांक 24.06.2011 के द्वारा श्री हनुमान द्वारा दिनांक 26.03.2003 को पंजीकृत वसीयत के आधार पर नामान्तकरण किये जाने के आदेश पारित किये है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार दिनांक 02.06.2011 को रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने तहसीलदार हनुमानगढ के संमक्ष वसीयत अनुसार नामान्तकरण दर्ज करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिसके साथ नकल जमाबन्दी संवत् 2064–2067, बैयनामा दिनांक 17.07.68 व दिनांक 09.08.65 तथा मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 14.6.11 की अप्रमाणित प्रतिया प्रस्तुंत की जिसको

आंत. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

मूल दस्तावेज से प्रदर्श नही करवाया गया है, तथा ना ही प्रमाणित प्रतिया प्रस्तुत की गई है। वसीयत के गवाहान के बयान भी नही लिये गये है तथा प्रार्थी के बयान भी नही है। अपीलान्ट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत आपत्ति के साथ प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 2.6.11 को जारी किया जाना अंकित है वो भी अप्रमाणित प्रति है। वसीयत में चक नं. 19 जे.आर.के. खाता नम्बर 134/118 में रामरख वगैरह में मिकर के हिस्से की सम्पूर्ण आराजी की वसीयत कृष्णलाल के हक में किया जाना अंकन किया है। मुताबिक पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी की नकल के अनुसार खाता सं. 162/142 है जो कि वसीसत में वर्णित खाता नं. 134/118 से ही बन हो के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नही है। वसीयत सम्बन्धी नामान्तकरण धारा 135 (2) भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पक्षकारो को सुनने के बाद निर्णित करने के अधिकार तहसीलदार को प्राप्त है। जबकि प्रस्तुत अपील मे निर्णय नायब तहसीलदार हनुमानगढ के द्वारा पारित किया गया है जो क्षेत्राधिकार विहीन होने वसीसत की जांच दस्तावेजो को प्रमाणित करवाये बिना पारित किये जाने के कारण अपास्त योग्य है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर नायब तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ का निर्णय दिनांक 24.06.2011 अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार हनुमानगढ को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता हे कि प्रकरण में वसीयत की जांच व गवाहान के बयान दर्ज कर सभी पक्षो को सुनकर, पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 30.09.2021 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर।